दिनांक 21.08.2019 को नई दिल्ली में श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, माननीय मंत्री (जल शक्ति मंत्रालय) की अध्यक्षता में आयोजित नदियों को आपस में जोड़ने के लिए विशेष समिति (आईएलआर) की सोलहवीं (16वीं) बैठक का कार्यवृत्त ।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, माननीय मंत्री (जल शक्ति मंत्रालय) की अध्यक्षता में नदियों को आपस में जोड़ने के लिए विशेष समिति (एससीआईएलआर) की सोलहवीं (16वीं) बैठक दिनांक 21.08.2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।

बैठक में श्री रतन लाल कटारिया जल शक्ति राज्य मंत्री, श्री मल्लादि कृष्णा राव ,स्वास्थ्य एवं सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री, पुडुचेरी सरकार , श्री संजय कुमार झा माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार और श्री रामचंद्र सहिस माननीय मंत्री ,जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न संगठनों के सदस्यों/प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों और अन्य अधिकारियों की सूची अनुलग्नक-I में दी गई है।

माननीय मंत्री (जल शक्ति मंत्रालय) ने राज्य सरकारों के माननीय सिंचाई/जल संसाधन मंत्री और नदियों को आपस में जोड़ने की विशेष समिति के सदस्यों और प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत किया।

श्री रतन लाल कटारिया माननीय जल शक्ति राज्य मंत्री ने विभिन्न राज्यों के सभी माननीय जल संसाधन/सिंचाई मंत्री और बैठक के अन्य सदस्यों और प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने कहा कि नदियों को आपस में जोड़ने का कार्यक्रम मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। माननीय मंत्री (जल शक्ति) इस कार्यक्रम को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे मंत्रालय द्वारा नदियों को आपस में जोड़ने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। राजविअ ने 16 लिंक परियोजनाओं की व्यवहार्यता रिपोर्टों और 6 लिंक परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को पूरा कर लिया है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि नदियों को आपस में जोड़ने के कार्यक्रम के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मेरे मंत्रालय द्वारा 4 प्राथमिकता लिंकों की पहचान की गई है। केन बेतवा लिंक कार्यान्वयन के लिए शुरू की जाने वाली पहली आईएलआर परियोजना है जिसके लिए विभिन्न मंजूरियाँ प्राप्त की गई हैं। उन्होंने यह भी बताया कि गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों को शामिल करते हुए पार-तापी-नर्मदा और दमनगंगा-पिंजल लिंकों की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें पूरी कर ली गई हैं और जल बंटवारे पर दोनों राज्य सरकारों के साथ समझौता करने के लिए उच्चतम स्तर पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। गोदावरी-कावेरी लिंक की प्रारूप डीपीआर जिसमें गोदावरी (इन्चमपल्ली/जनमपेट) - कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक, कृष्णा (नागार्जुनसागर) - पेन्नार (सोमासिला) लिंक और पेन्नार

(सोमासिला) - कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक शामिल हैं, को पूरा कर लिया गया है और संबंधित राज्यों को भेज दिया गया है।

माननीय राज्य मंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि नदियों को आपस में जोड़ने के लिए कार्यबल लगातार कार्य कर रहा है और नदी बेसिन में अधिशेष जल, कानूनी पहलुओं और आईएलआर परियोजनाओं के वित्तीय पहलुओं जैसे विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श कर रहा है। उन्होंने नदियों को आपस में जोड़ने के कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी राज्यों से सहयोग मांगा, जो राष्ट्र में समृद्धि लाएगा।

श्री रामचंद्र सहिस माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग झारखण्ड सरकार ने आईएलआर कार्यक्रम का समर्थन करते हुए उल्लेख किया कि हमारे देश का एक तिहाई हिस्सा बाढ़ से प्रभावित है और साथ ही हमारे देश के कई अन्य भाग सूखे से पीड़ित हैं। पेयजल, सिंचाई, उद्योगों आदि के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, नदी को आपस में जोड़ने का कार्यक्रम उपयोगी है। झारखण्ड राज्य ने तीन अंतर-राज्यीय लिंकों अर्थात् शांख -दक्षिण कोयल, दक्षिण कोइल-सुवर्णरेखा और बराकर दामोदर-सुवर्णरेखा की योजना बनाई है। उन्होंने ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों से सहयोग का अनुरोध किया और आशा व्यक्त की कि वे इन लिंक परियोजनाओं की डीपीआर तैयार करने के लिए अपनी सहमति देंगे।

बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के माननीय मंत्री ने उल्लेख किया कि राजविअ ने अपनी स्थापना के समय से ही एनपीपी के अंतर्गत आईएलआर कार्यक्रम का कार्य शुरू किया है और राजविअ के कार्यों में शामिल अंत:राज्यीय लिंक परियोजनाओं की डीपीआर तैयार की है। उन्होंने कहा कि बिहार की दो अंत:राज्यीय नदी जोड़ो परियोजनाओं अर्थात (i) कोसी-मेची लिंक और (ii) बूढ़ी गंडक-नून-बया गंगा लिंक परियोजनाओं की डीपीआर तैयार की गई है और राजविअ द्वारा 2014 में केन्द्रीय जल आयोग को सौंप दी गई है।

कोसी-मेची लिंक परियोजना की डीपीआर को तकनीकी सलाहकार समिति, जल संसाधन ,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग , भारत सरकार द्वारा दिनांक 08 जुलाई, 2016 को आयोजित अपनी 129$^{वीं}$ बैठक में तकनीकी-आर्थिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। उन्होंने आगे बताया कि कोसी-मेची लिंक परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से दिनांक 1 अगस्त 2019 को प्राप्त हो गई है। इस परियोजना से अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिलों में 2.15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सुनिश्चित सिंचाई होगी। उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस

परियोजना की निवेश मंजूरी और केन-बेतवा लिंक परियोजना की तरह इसे भी राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने का अनुरोध किया।

बूढी गंडक-नून-बया-गंगा लिंक परियोजना के संबंध में माननीय मंत्री, बिहार सरकार ने संकेत दिया कि केन्द्रीय जल आयोग ने राजविअ को इस परियोजना को बाढ़ प्रबंधन परियोजना के रूप में नियोजित करने की सलाह दी है और राजविअ द्वारा संशोधित डीपीआर तैयार करने का अनुरोध किया है। माननीय मंत्री, बिहार सरकार ने बिहार राज्य में स्थित राजविअ कार्यालयों को सुदृढ़ करने का भी अनुरोध किया।

राष्ट्रीय परियोजना की स्थिति के बारे में सचिव (जल संसाधन ,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग) ने स्पष्ट किया कि अब तक पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़कर 90:10 का वित्त पोषण पैटर्न उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण पैटर्न 60:40 के अनुपात में है। इसके अलावा, अंतर-राज्यीय लिंकों के वित्तपोषण का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, हमारा मंत्रालय अंतर-राज्यीय लिंक परियोजनाओं सहित एनपीपी के अंतर्गत आईएलआर परियोजनाओं के लिए 90:10 वित्तपोषण पैटर्न के लिए प्रयास कर रहा है।

माननीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि नदियों को आपस में जोड़ने के कार्यक्रम के त्वरित कार्यान्वयन के लिए राज्यों के लिए यह एक साथ बैठने और अपने मतभेदों को दूर करने का सबसे अच्छा अवसर है। उन्होंने कहा कि आईएलआर के लिए कार्यबल इस दिशा में सर्वोत्तम प्रयास कर रहा है।

मद संख्या 16.1: दिनांक 20.08.2018 को नई दिल्ली में आयोजित नदियों को आपस में जोड़ने के लिए विशेष समिति की 15 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

महानिदेशक, राजविअ ने बताया कि नई दिल्ली में दिनांक 20 अगस्त, 2018 को आयोजित नदियों को आपस में जोड़ने के लिए विशेष समिति (एससीआईएलआर) की 15 वीं बैठक के कार्यवृत्त को दिनांक 04.10.2018 के पत्र के माध्यम से सभी सदस्यों को परिचालित किया गया था। कर्नाटक सरकार ने दिनांक 06.02.2019 के पत्र के माध्यम से अपनी टिप्पणियां भेजी हैं और राजविअ द्वारा दिनांक 18.06.2019 के पत्र के माध्यम से इसे स्पष्ट किया गया है।

चूंकि कोई अन्य टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए परिचालित किए गए कार्यवृत्त की पुष्टि की गई थी।

मद संख्या 16.2: विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) / व्यवहार्यता रिपोर्ट

(**i**) विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) पूरी हो चुकी हैं।

1. कावेरी बेसिन तक गोदावरी जल के पथांतरण का वैकल्पिक प्रस्ताव

महानिदेशक राजविअ ने सूचित किया कि गोदावरी-कावेरी वैकल्पिक लिंक प्रस्ताव के अंतर्गत 3 लिंक नामत: गोदावरी-कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक, कृष्णा (नागार्जुनसागर)

लिंक, ,पेन्नार (सोमासिला) लिंक और पेन्नार (सोमासिला) - कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक की प्रारूप डीपीआर पूरी कर ली गई है और राज्यों के विचार जानने के लिए मार्च, 2019 में पार्टी राज्यों को परिचालित कर दी गई है। माननीय मंत्री जी ने संबंधित राज्यों से अनुरोध किया है कि वे अपने विचार, यदि कोई हों, भेजें ताकि डीपीआर को अंतिम रूप दिया जा सके।

2. वैनगंगा (गोसीखुर्द) - नलगंगा (पूर्ण तापी) महाराष्ट्र के अंतर-राज्यीय लिंक

महानिदेशक राजविअ ने सूचित किया कि राजविअ द्वारा महाराष्ट्र के वैनगंगा (गोसीखुर्द) - नलगंगा (पूर्णा तापी) अंत: राज्यीय लिंक की डीपीआर को पूरा कर लिया गया है और नवंबर 2018 में महाराष्ट्र सरकार को भेज दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव ने बताया कि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने इस लिंक परियोजना को लागू करने का संकल्प लिया है।

3. तमिलनाडु की पोन्नैयार-पलार अंतर-राज्यीय लिंक

महानिदेशक , राजविअ ने सूचित किया कि तमिलनाडु के पोन्नैयार-पलार अंत:-राज्यीय लिंक की डीपीआर पूरी कर ली गई है और अगस्त 2018 में तमिलनाडु और कर्नाटक सरकार को भेज दी गई है।

(II) विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) प्रगति पर हैं

महानिदेशक राजविअ ने सूचित किया कि महाराष्ट्र की (i) दमनगंगा (एकदारे) - गोदावरी और (ii) दमनगंगा-वैतरणा-गोदावरी अंत:-राज्यीय लिंक परियोजनाओं की डीपीआर तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि राजविअ द्वारा परामर्शी आधार पर इन दो डीपीआर तैयार करने के लिए जल संसाधन विभाग , महाराष्ट्र सरकार और राजविअ के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे महाराष्ट्र सरकार ने इस सहमति को एकतरफा रद्द कर दिया था जिसके परिणामस्वरूप डीपीआर कार्यों में देरी हुई।

प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग, महाराष्ट्र सरकार ने सभी मुद्दों को शीघ्रता से हल करने का आश्वासन दिया ताकि इन दोनों परियोजनाओं की डीपीआर समय पर पूरी की जा सके।

(III) व्यवहार्यता रिपोर्टें पूर्ण

1. मानस-संकोष-तीस्ता-गंगा लिंक

वैकल्पिक संरेखण का प्रारूप एफआर पूरा हो गया है और इसे अंतिम रूप देने के बाद पश्चिम बंगाल, असम और बिहार सरकार को उनके विचारों के लिए भेजा जाएगा।

मद संख्या 16.3: केन-बेतवा लिंक परियोजना (के बी एल पी)

महानिदेशक राजविअ ने सूचित किया कि केन बेतवा लिंक परियोजना की द्वितीय चरण की वन मंजूरी को छोड़कर विभिन्न सांविधिक मंजूरियाँ प्राप्त की जाती हैं। जल के वार्षिक बंटवारे पर दोनों राज्यों द्वारा सहमति व्यक्त की जाती है और गैर-मानसून के दौरान जल के बँटवारे के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया जा रहा है जिसे समिति के सदस्यों द्वारा नोट किया गया था।

मद संख्या 16.4: दमनगंगा-पिंजल और पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजनाएं - डीपीआर की वर्तमान स्थिति

महानिदेशक राजविअ ने बताया कि दमनगंगा-पिंजल और पार-तापी नर्मदा लिंक परियोजनाएं महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से संबंधित जुड़वा लिंक हैं। इन दोनों लिंक परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें पूरी कर ली गई हैं। दमनगंगा-पिंजल लिंक की तकनीकी आर्थिक मंजूरी प्राप्त कर ली गई है और पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना का तकनीकी- आर्थिक मूल्यांकन अग्रिम चरण में है। महाराष्ट्र के चार अंत:राज्यीय लिंकों के साथ पार-तापी-नर्मदा लिंक और दमनगंगा-पिंजल लिंक परियोजनाओं दोनों के लिए समझौता ज्ञापन का प्रारूप सितंबर 2017 में महाराष्ट्र सरकार और गुजरात को भेज दिया गया है।

प्रधान सचिव महाराष्ट्र सरकार ने उल्लेख किया कि पार-तापी-नर्मदा लिंक में महाराष्ट्र जलग्रहण से जल अंतरण के बदले में महाराष्ट्र राज्य को मुआवजा देने के मुद्दे पर अभी भी गुजरात के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है। उन्होंने संकेत दिया कि महाराष्ट्र जलग्रहण क्षेत्र के 434 मिमी 3 को गुजरात द्वारा उपयोग के लिए पार-तापी-नर्मदा लिंक के माध्यम से हस्तांतरित करने का प्रस्ताव दिया है और इसके बदले में महाराष्ट्र को उकाई जलाशय के तापी बेसिन अपस्ट्रीम में समान मात्रा में पानी (434 मिमी3-41 मिमी3 वाष्पीकरण हानि) के उपयोग की अनुमति दी जानी चाहिए। गुजरात राज्य संभवतः उकाई जलाशय के डाउनस्ट्रीम में उनके द्वारा पहले से ही नियोजित मौजूदा कमांड क्षेत्र के कारण महाराष्ट्र राज्य को उकाई बांध के अपस्ट्रीम में (398 मिमी3) पानी की समतुल्य मात्रा का उपयोग करने की अनुमति नहीं दे रहा है।

सचिव (जल संसाधन ,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग) ने उल्लेख किया कि महाराष्ट्र जलग्रहण से 434 मिमी3 जल उत्पन्न कर रहा है और महाराष्ट्र राज्य द्वारा इस जल का उपयोग बहुत अधिक लिफ्ट पर निर्भर होने के कारण व्यवहार्य नहीं हो सकता है। साथ ही उकाई जलाशय हर साल नहीं भर रहा है। इस प्रकार महाराष्ट्र राज्य की क्षतिपूर्ति के लिए महाराष्ट्र की 4 अंत:राज्यीय लिंक परियोजनाओं के कार्यान्वयन को पार-तापी-नर्मदा और दमनगंगा पिंजल लिंक परियोजनाएं के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन के मसौदे में शामिल किया गया है।

माननीय मंत्री जी ने दोनों राज्यों के लिए उपयुक्त विकल्प तैयार करने का सुझाव दिया। सचिव (जल संसाधन ,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग) दोनों राज्यों के अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं और इन दो लिंक परियोजनाओं में शामिल मुद्दों को हल कर सकते हैं।

मद संख्या 16.5: अंत:-राज्य लिंक प्रस्तावों की स्थिति

महानिदेशक, राजविअक ने विभिन्न राज्यों के अंत:-राज्यीय लिंक प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी, जैसा कि एजेंडा नोट्स में दिया गया है, जिसे समिति के सदस्यों द्वारा नोट किया गया था।

मद संख्या 16.6: नदियों को आपस में जोड़ने के लिए कार्यबल

महानिदेशक राजविअ ने बताया कि नदियों को आपस में जोड़ने के लिए कार्यबल के अध्यक्ष श्री बीएन नवलावाला ने अपना त्यागपत्र दे दिया है। अब श्री श्रीराम विदिरे, सलाहकार, जल संसाधन ,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग को कार्यबल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

कार्यबल द्वारा गठित कानूनी समूह और वित्तीय समूह ने नवंबर, 2018 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

यह सूचना समिति के सदस्यों द्वारा नोट की गई ।

मद संख्या 16.7: उप-समिति **I** और **II** के कार्यकाल का विस्तार।

महानिदेशक राजविअ ने उल्लेख किया कि उप-समिति-I और II को आईएलआर के लिए कार्यबल और आईएलआर के लिए विशेष समिति को तकनीकी जानकारी प्रदान करनी है, इसलिए यह आवश्यक महसूस किया गया कि ये समितियां आईएलआर के लिए कार्यबल और आईएलआर के लिए विशेष समिति के साथ काम करेंगी । विस्तृत चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि इन दोनों उप-समितियों का कार्यकाल आईएलआर के लिए कार्यबल और आईएलआर के लिए विशेष समिति के कार्यकाल के साथ समाप्त होंगी । कार्यों में किसी प्रकार का दोहराव न हो इसके के लिए इन दोनों उप समितियों के टीओआर की समीक्षा करने की आवश्यकता है

मद संख्या 16.8: राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के कार्यों में संशोधन

महानिदेशक राजविअ ने बताया कि राजविअ सोसायटी की आज प्रात: हुई 6वीं विशेष आम बैठक (एसजीएम) में राजविअ के कार्यों में संशोधन के मुद्दे पर विचार किया गया। कार्यों में संशोधनों को विशेष आम बैठक द्वारा अनुमोदित किया गया था।

यह सूचना समिति के सदस्यों द्वारा नोट की गई।

मद संख्या 16.9: राष्ट्रीय नदी जोड़ प्राधिकरण (नीरा) के गठन के लिए प्रारूप विधेयक

महानिदेशक ,राजविअ ने बताया कि नदियों को आपस में जोड़ने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना को लागू करने के लिए राष्ट्रीय नदी जोड़ प्राधिकरण ,एनआईआरए (नीरा) के गठन के लिए एक प्रारूप विधेयक तैयार किया गया है। यह बताया गया था कि एनआईआरए(नीरा) के गठन के प्रस्ताव सहित आईएलआर परियोजनाओं के वित्तपोषण पर प्रारूप कैबिनेट नोट पर विचार किया जा रहा है।

यह सूचना समिति के सदस्यों द्वारा नोट की गई।

मद संख्या 16.10: अध्यक्ष की अनुमति के साथ कोई अन्य मद

श्री श्रीराम विदेरे ,अध्यक्ष आईएलआर पर कार्यबल ने राजविअ द्वारा नियोजित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक को राजस्थान राज्य की पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के साथ एकीकृत करने की संभावना को स्पष्ट किया। उन्होंने इच्छा जताई कि राजविअ इस पर एक संक्षिप्त तकनीकी नोट तैयार कर सकता है।

बैठक का समापन अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

***

अनुलग्नक – I

दिनांक 21 अगस्त, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित नदियों को आपस में जोड़ने के लिए विशेष समिति की 16वीं बैठक के सदस्यों, विशेष आमंत्रित सदस्यों और प्रतिभागियों की सूची।

क्रमांक	सदस्य का नाम और पदनाम	सदस्य
1.	श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, माननीय केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	श्री रतन लाल कटारिया, माननीय केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री, नई दिल्ली	उपाध्यक्ष
3.	श्री मल्लादि कृष्णा राव, माननीय सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री, पुडुचेरी सरकार	सदस्य
4.	श्री संजय कुमार झा, माननीय जल संसाधन मंत्री, बिहार सरकार	सदस्य
5.	श्री रामचंद्र सहिस, माननीय जल संसाधन मंत्री, झारखंड सरकार	सदस्य
6.	श्री यू.पी. सिंह, सचिव, जल संसाधन तथा नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
7.	श्री अरुण कुमार सिन्हा, अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली	सदस्य
8.	श्री आर.एस. प्रसाद, पूर्व अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग , नई दिल्ली	सदस्य

9.	श्री एडी, मोहिले, पूर्व अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग , नई दिल्ली	सदस्य
10.	श्री एम गोपालकृष्णन, पूर्व सचिव, आई सी आई डी , नई दिल्ली	सदस्य
11.	श्री श्रीराम विदेरे , अध्यक्ष आईएलआर पर टास्क फोर्स	सदस्य
12.	श्री अजय कुमार सिंह, अध्यक्ष और सीटीओ, परामर्श इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड, नागपुर	सदस्य
13.	सुश्री रचना चोपड़ा, अतिरिक्त मुख्य सलाहकार (लागत) सीएसी का कार्यालय, नई दिल्ली	सदस्य
14.	श्री सुरेश के भंडारी, विशेष सचिव, शहरी विकास, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार	सदस्य
15.	श्री विशाल गगन, विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, ओडिशा सरकार	सदस्य
16.	श्री आदित्य नाथ दास, विशेष मुख्य सचिव, सिंचाई, आंध्र प्रदेश सरकार	सदस्य
17.	श्री संजीव हंस, सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
18.	आई.एस चहल, प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, महाराष्ट्र सरकार	सदस्य
19.	श्री अरुण कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार	सदस्य
20.	श्री नवीन महाजन, सचिव, जल संसाधन	सदस्य

	विभाग, राजस्थान सरकार	
21.	श्री राजेन्द्र पवार, सचिव (सीएडी), जल संसाधन विभाग, महाराष्ट्र सरकार	सदस्य
22.	श्री संदीप तनेजा, मुख्य अभियंता, सिंचाई और जल संसाधन, हरियाणा सरकार	प्रधान सचिव, सिंचाई, हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते हुए
23.	श्री एस नरसिम्हा राव, मुख्य अभियंता (आई एस डब्ल्यू आर), तेलंगाना सरकार, हैदराबाद	प्रधान सचिव तेलंगाना का प्रतिनिधित्व करते हुए
24.	श्री एम बंगारस्वामी, मुख्य अभियंता, आई एस डब्लू, जल संसाधन विभाग , कर्नाटक सरकार, बेंगलुरु	प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग , कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करते हुए
25.	श्री एस.के. सिंगला, जल विज्ञान, जल संसाधन विभाग, पंजाब सरकार	प्रधान सचिव, सिंचाई, पंजाब का प्रतिनिधित्व करते हुए
26.	श्री मनीष शर्मा, उप निवासी आयुक्त, पश्चिम बंगाल सरकार	सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए
27.	श्री के.एस. रामकुमार, उपाध्यक्ष कावेरी तकनीकी प्रकोष्ठ सह अंतरराज्यीय जल शाखा, जल संसाधन विभाग, तमिलनाडु सरकार	सचिव, लोक निर्माण विभाग, तमिलनाडु प्रतिनिधित्व करते हुए
28.	श्री ओंकार सिंह, संयुक्त सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड सरकार	प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग , उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए

29.	श्री के.एस. ध्रुव, मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, रायपुर, छत्तीसगढ़ सरकार	प्रधान सचिव, डब्ल्यूआरडी, छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए
30.	श्री जगदीश सिंह, मुख्य अभियंता, सिंचाई, जल संसाधन, उत्तर प्रदेश सरकार	प्रधान सचिव, सिंचाई, उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए
31.	श्री के.एच. शमसुद्दीन , मुख्य अभियंता, आई एस डब्लू, केरल सरकार	आयुक्त और सचिव, जल संसाधन विभाग , केरल का प्रतिनिधित्व करते हुए
32.	श्री श्रीकांत दांडेकर, आयुक्त (सीएडी), भोपाल और मुख्य अभियंता जीबी	प्रधान सचिव मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए
33.	श्री एम.के. श्रीनिवास, महानिदेशक, राजविअ, नई दिल्ली	सदस्य-सचिव

जल संसाधन तथा नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के अधिकारी

1. श्रीमती टी राजेश्वरी,
   अपर सचिव,
   जल संसाधन तथा नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, नई दिल्ली
2. श्री जगमोहन गुप्ता,

संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार,
जल संसाधन तथा नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

3. श्री कुशविंदर वोहरा,
आयुक्त (एसपीआर),
ज.सं. न. वि. व गं.सं.मं नई दिल्ली

4. श्री संजय सिंह,
निजी सचिव राज्य मंत्री,
जल शक्ति मंत्रालय, नई दिल्ली

5. श्री टी.डी. शर्मा,
वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (बीएम),
ज.सं. न. वि. व गं.सं.मं ,नई दिल्ली

6. श्री अमरदीप सिंह चौधरी,
सलाहकार (लागत), ओ/ओ सीएसी, वित्त मंत्री,
व्यय विभाग, नई दिल्ली

केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के अधिकारी

1. श्री आर.के. सिन्हा,
सदस्य (आरएम), केन्द्रीय जल आयोग ,
नई दिल्ली
2. श्री एस.के. जुनेजा,
वैज्ञानिक डी, सी जी डब्ल्यू बी,
राष्ट्रीय राजमार्ग-I V, फरीदाबाद।
3. श्री पी के शुक्ल,
मुख्य अभियंता, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण,
विद्युत मंत्रालय, नई दिल्ली
4. डॉ अशोक कुमार दास,
वैज्ञानिक 'ई', भारत मौसम विज्ञान विभाग, नई दिल्ली
5. डॉ संजय कुमार,
वैज्ञानिक 'डी', विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली

राज्य सरकारों के अधिकारी

1 श्री नागेश मिश्र,
मुख्य अभियंता, परियोजना योजना एवं निगरानी, डब्ल्यूआरडी,
झारखंड सरकार

2 श्री गिरीश लोढ़ा,
मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग ,
राजस्थान सरकार

3 श्री जी पी राय,
मुख्य अभियंता, योजना और अन्वेषण,
डब्ल्यूआरडी , ओडिशा सरकार

4 डॉ ए द्विवेदी,
अधीक्षण अभियंता, सिंचाई एवं
डब्ल्यूआर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

5 श्री के. पी पांडे,
अधिशासी अभियंता,
यूपी सिंचाई, लखनऊ

6 श्री जे लुसिएन पेडको कुमार,
अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, पुडुचेरी

7 श्री शंकर कुमार साहा,
अधीक्षण अभियंता, सिंचाई विभाग, उत्तराखंड

8 श्री बी.के नागेश्वर राव,
मुख्य अभियंता, आई एस डब्ल्यू आर,
आंध्र प्रदेश सरकार

9 श्री नवीन सिंह,
अधीक्षण अभियंता,
सिंचाई विभाग, उत्तराखंड

10 श्री विजय कुमार पी.जी.,
नोडल अधिकारी, जल संसाधन विभाग , केरल

11 श्री एन वीर प्रताप,
उप निदेशक, अंतरराज्यीय, आंध्र प्रदेश सरकार

12 श्री वी कृष्णा राव,
अधिशासी अभियंता (आई एस डब्ल्यू आर),
आंध्र प्रदेश सरकार

13 श्री जे वी रामाराव,
सहायक अधिशासी अभियंता, जल संसाधन विभाग ,
आंध्र प्रदेश सरकार
14 श्री अनुराग शर्मा,
सहायक अभियंता, सूचना एवं सीएडी विभाग,
तेलंगाना सरकार
15 श्री सी चन्द्र मिश्र,
अधिशासी अभियंता, जल संसाधन विभाग , बिहार सरकार
16 श्री कमल कांत,
निदेशक, योजना और डिजाइन,
जल संसाधन विभाग , पंजाब
17 श्री मनोज कुमार,
अधिशासी अभियंता, आईडी, हरियाणा
19 श्री पद्म कांत झा,
संपर्क अधिकारी, जल संसाधन विभाग , बिहार सरकार
राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (राजविअ) के अधिकारी
1. श्री आर के जैन,
मुख्य अभियंता (मुख्यालय),
नई दिल्ली
2. श्री एन.सी. जैन,
मुख्य अभियंता (उत्तर),
लखनऊ
3. डॉ आर एन शंखुआ,
मुख्य अभियंता (दक्षिण),
हैदराबाद
4. श्री के.पी. गुप्ता,
निदेशक (तक),
नई दिल्ली
5. श्री मुजफ्फर अहमद, अधीक्षण अभियंता, नई दिल्ली
6. श्री बी.एल. शर्मा,
अधीक्षण अभियंता, भुवनेश्वर

7. श्री सी.पी.एस. सेंगर, अधीक्षण अभियंता,
पटना
8. श्री आर.के. सिन्हा,
निदेशक (वित्त),
नई दिल्ली
9. श्री एस.सी. अवस्थी, अधीक्षण अभियंता, ग्वालियर
10. श्री चिरब्रत सरकार, निदेशक (प्रशा),
नई दिल्ली
11. श्री राकेश कुमार गुप्ता, अधिशासी अभियंता
(मुख्यालय),
नई दिल्ली
12. श्री आर.के. शर्मा,
उप निदेशक, नई दिल्ली
13. श्री राजेश कुमार, उप निदेशक (प्रशा),
नई दिल्ली
14. श्री केके राव,
उप निदेशक (जल विज्ञान),
नई दिल्ली
15. श्री अनिल कुमार जैन,
उप निदेशक,
नई दिल्ली
16. श्री एस आर माहौर,
उप निदेशक,
नई दिल्ली